



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

राज्य शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग

चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची-834004


आम सूचना

पत्र संख्या - 2014

राँची, दिनांक 24/03/17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि-

1. झारखण्ड सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत "झारखण्ड अपशिष्ट जल नीति, 2017" को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य शहरी निकायों में आवासीय, गैर-आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अपशिष्ट जल का Recycle कर इसे पुनः उपयोग में लाना है, जिससे जल की मांग को पूरा करने के साथ-साथ भूगर्भ एवं भू-जल स्तर का पुनर्भरण भी हो सके।
2. "झारखण्ड अपशिष्ट जल नीति, 2017" को विभागीय वेबसाईट udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।
3. वर्णित "झारखण्ड अपशिष्ट जल नीति, 2017" प्रारूप के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव/परामर्श, सूचना प्रकाशन के दिन से आगामी 15 दिनों के अन्दर लिखित रूप में नाम, पता एवं मोबाईल सहित राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय या ई-मेल ccbpijharkhand@gmail.com पर भेजा जा सकता है।
4. उक्त 15 दिनों के उपरांत प्राप्त सुझाव/मंतव्य पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।


(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक।